न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 57/2012

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. हीराराम पुत्र गीगाराम
2. गंगाराम पुत्र मिश्रुराम
3. रतनाराम पुत्र भबूतराम
4. सुगनाराम पुत्र भबूतराम

जातियान–माली, निवासी–बेरा हीरजी की ढाणी गांव–बलून्दा, तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. बचनाराम पुत्र प्रताराम
2. खेमराज पुत्र बचनाराम
3. ढेमारा पुत्र आपूराम
4. शिवलाल पुत्र रुधाराम
5. लिखमाराम पुत्र रुधाराम
6. कंवरलाल पुत्र रुधारामज
7. धर्माराम पुत्र मांगीलाल
8. हड़मानराम पुत्र मांगीलाल
9. मंगाराम पुत्र रूपाराम
10. ढगलाराम पुत्र रूपाराम
11. चम्पालाल पुत्र रामलाल
12. मदनाराम पुत्र जयकिन
13. चैनाराम पुत्र रूधाराम
14. सत्यानारायण पुत्र आपूराम

निवासीगण–बेरा रामर गांव–बलून्दा तहसील–जैतारण, जिला–पाली

15. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.19.03.2012

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 12/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण व उनके सहहिस्सेदारों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि राजस्व मौजा–बलून्दा, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 947, 954, 956, 957, 958, 1132, 1139 कुल खसरा 7 कुल रकबा 134 बीघा 13 बिस्वा की आई हुई है, जिसके वादीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस वाद पत्र के साथ पेश की है। इस भूमि में से खसरा नम्बर 947 की जमीन रकबा 27–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि को लेकर के प्रतिवादीगण विवाद कर रहे हैं। इसलिये इस पद में वर्णित खसरा नम्बर 947 की भूमी को ही वाद–पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादिगण व उनके सहहिस्सेदारों के बीच उक्त विवादित भूमि मौके पर आपसी सहमति से पिढियों से अलग अलग बंटी हुई हैं। इसी के मुताबिक वादीगण का खसरा नम्बर 947 की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पर कब्जा व हक अधिकार हैं। इस विवादित भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 1012 गैर मुमकिन रास्ते की जमीन है, जो रास्ता बलून्दा से कानावास की तरफ जाता है तथा खसरा नम्बर 1012 पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अधिनस्थ गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज हैं। वादिगण हीराराम ने अपनी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 947 रकबा 27-13 बीघा में से अपने 1/4 हिस्से की भूमि में से 2/23 वें हिस्से की भूमि जरिये दानपत्र के राजकीय प्राथमिक विधालय हीरजी की ढाणी बलून्दा के लिए राज्य सरकार के पक्ष में दान कर दी थी। तब उसी के माफिक मौके पर विधालय भवन बना था, जो मौके पर आज दिन चालू है। विधालय भवन वादीगण हीर जी की खातेदारी व हकसुदा भूमि में ही बना हुआ है। वादीगण के इस खातेदारीसुदा भूमि के दक्षिणी तरफ स्थित रास्ते की जमीन पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया था व पत्थर वगैरह लाकर डाले थे, तब ग्रामवासी-बलून्दा व ग्राम पंचायत ने प्रतिवादीगण के उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाहि की थी। नकल प्रार्थना पत्र जो प्रतिवादिगण के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने बाबत पेश किया गया था। इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। ग्रामवासियों द्वारा ऐतराज करने पर तहसीलदार, जैतारण द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। तभी अतिकमी व्यक्तियों ने विधालय के सामने से तो अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन विधालय परिसर से पूर्वी व पश्चिमी तरफ वादीगण के खातेदारी व हक सुदा भूमि में अब प्रतिवादीगण जबरदस्ती बतौर अतिकमी के अतिक्रमण करने व पत्थर वगैरा लाकर डालने को आमादा है। दिनांक 02/03/2012 को प्रतिवादीगण लिखमाराम, शिवलाल, कंवरीलाल वगैरह ने जबरदस्ती पत्थरों की ट्रोलिये लाकर वादीगण के कब्जासुदा व हकसुदा एवं खातेदारीसुदा खेत विवादित भूमि में लाकर डालनी शुरू कर दी, जबकि वादीगण हीराराम का पुत्र सम्पतराज अपने खातेदारी व हकसुदा खेत में कृषि भूमि के सुधार के प्रयोजनार्थ एवं अपने आवास व रहवास के प्रयोजनार्थ मकान का निर्माण करवा रहा था। उसमें भी बाधा व अड़चन डाल दी। प्रतिवादीगण का इस विवादित भूमि पर न तो किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार है, न ही कभी कोई कब्जा रहा है। प्रतिवादीगण सभी बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है, जिन्होंने गैर मुमकिन रास्ते की सिवाय चक जमीन पर बतौर अतिकमी के अपना कब्जा किया है एवं अब उसी अतिक्रमण की आड़ में वादीगण की खातेदारी सुदा भूमि पर भी बतौर अतिकमी के जबरदस्ती अपना कब्जा करना चाह रहे है तथा हीराराम के पुत्र सम्पतराज को मकान भी नही बनाने दे रहे है, जिससे वादीगण को भारी नुकसान हो रहा है एवं अतिकमी व्यक्तियों के हौंसलें बुलन्द हो रहे है। प्रतिवादीगण राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। जिनकी वजह से पुलिस थाना अधिकारी आ0कालू भी प्रतिवादीगण के अतिक्रमण को बढावा देते हुये, वादीगण के निर्माण कार्य को रूकवाकर वादीगण को ही तंग व परेशान कर रहे है, जिससे वादीगण को भारी असुविधा व परेशानियां हो रही है तथा वादीगण हीराराम के पुत्र सम्पतराज को मकान नही बनने से वादीगण को असीम क्षति भी हो रही है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण बतौर अतिकमी के हमेशा के लिये वादीगण की खातेदारी व हकसुदा विवादित भूमि पर अपना कब्जा कर स्थाई निर्माण कर लेते हैं, तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण ने गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1012 पर पूर्व में ही अतिक्रमण कर लिया है। जिससे वादीगण को अपने आवास रहवास में व खातेदारीसुदा भूमि पर आवागमन करने में भारी परेशानी हो रही हैं, जबकि रास्ते की जमीन पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 15 एवं उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 15 को भी वाद पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 15 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जो इस वादी में आवश्यक पक्षकार हैं। जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुमति लेकर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। बिनायवाद दिनांक 02/03/2012 को पतिवादीगण लिखमाराम, शिवलाल व कंवरीलाल वगैरह द्वारा हीराराम व अन्य वादीगण को उसकी खतेदारी सुदा व हकसुदा भूमि से बेदखल कर देने की एलानिया धमकी देने वे बतौर अतिक्रमी के अपना कब्जा करने का प्रयास करने के लिये पत्थर लाकर डालने पर बमुकाम-बलून्दा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 10 से 15 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। चूँकि वादीगण राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बलून्दा, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 947 रकबा 27-13 बीघा में 1/4 हिस्से की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :–

1. हीराराम पुत्र गीगाराम
2. गंगाराम पुत्र मिश्रुराम
3. रतनाराम पुत्र भबूतराम
4. सुगनाराम पुत्र भबूतराम

जातियान–माली, निवासी–बेरा हीरजी की ढाणी गांव–बलून्दा, तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बचनाराम पुत्र प्रताराम
2. खेमराज पुत्र बचनाराम
3. ढेमारा पुत्र आपूराम
4. शिवलाल पुत्र रुधाराम
5. लिखमाराम पुत्र रुधाराम
6. कंवरलाल पुत्र रुधारामज
7. धर्माराम पुत्र मांगीलाल
8. हड़मानराम पुत्र मांगीलाल
9. मंगाराम पुत्र रूपाराम
10. ढगलाराम पुत्र रूपाराम
11. चम्पालाल पुत्र रामलाल
12. मदनाराम पुत्र जयकिन
13. चैनाराम पुत्र रुधाराम
14. सत्यानारायण पुत्र आपूराम

निवासीगण–बेरा रामर गांव–बलून्दा तहसील–जैतारण, जिला–पाली

15. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:57/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–बलून्दा, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 947 रकबा 27–13 बीघा में 1/4 हिस्से की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०२	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०५	००	मिजानः-	०१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner